

UPET010023142020



न्यायालय: अपर जिला न्यायाधीश / त्वरित न्यायालय-प्रथम, एटा.

उपस्थित: रितिश सचदेवा, ' H.J.S.'

(J.O CODE-1563)

नियमित सिविल अपील- 10 सन् 2020

शेर सिंह—बनाम—विजयपाल आदि.

26-03-2022

वाद पुकारा गया। पुकार पर विपक्षीगण मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। बार-बार पुकार पर अपीलार्थी उपस्थित नहीं है, ना उसकी ओर से कोई प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया है। जबकि दिनांक 04.03.2022 को अपीलार्थी को बहस हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है, फिर भी अपीलार्थी वाद पर पर बल देने हेतु उपस्थित नहीं है। ऐसी दशा में वाद अपीलार्थी की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद अपीलार्थी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है।

बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक: 26.03.2022

(रितिश सचदेवा)
अपर जिला न्यायाधीश /
त्वरित न्यायालय-प्रथम, एटा